

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर (म0प्र0)

(E-mail – dfoanagrt@mp.gov.in)

Fax- 07443-221120, Ph- 07543-221120)

क्रमांक/डी.एम./19/ 2793
प्रति,

अशोकनगर, दिनांक - 03/08/2019

मुख्य वनसंरक्षक,
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी,
म0प्र0

- विषय :-** वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त Proposal No. FP/MP/OFC/36860/2018 नेशनल ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क प्रोजेक्ट अन्तर्गत ओ.एफ.सी. केविल (भूमिगत) बिछाने हेतु फोरेस्ट अनुमति के संबंध में
- संदर्भ :-** एस.डी.ओ.टेलीग्राम अशोकनगर का पत्र क्र/SDO(T)/ASK/NOFN-Essagarh/Forest-Permission/2019-20 दिनांक 08.08.2019

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन हैं कि Proposal No. FP/MP/OFC/36860/2018 फुटेरा से मामोन ओ.एफ.सी. लाईन (बी0एस0एन0एल0) फार्म-ए का भाग-1 ऑन लाईन एवं हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण उपवनमण्डलाधिकारी अशोकनगर द्वारा पूर्ण कराया गया है जिसमें 0.1991 हे0 वनभूमि प्रभावित होना पाया गया है।

म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र/एफ-5-14/2005/10-3 दिनांक 06.08.2016 के अनुसार नेशनल ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क योजना के अन्तर्गत वनभूमि व्यवपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल लाईन के प्रकरणों को पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त किया गया है अतएव इनसे पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क नहीं ली गई है।

उक्त प्रस्ताव के भाग-2 को ऑन लाईन आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है तथा प्राप्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी पत्र के साथ अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 02 प्रतियों में।

(संजय कुमार चौहान)
(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 03/08/2019

पृ.क्रमांक/डी.एम./19/ 2794

प्रतिलिपि :-

01- एस.डी. टेलीग्राफ, बी.एस.एन.एल. अशोकनगर की ओर उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ।

(संजय कुमार चौहान)
(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर

वन अपराध या अवैध शिकार से संबंधित सूचना

टोल फ्री नम्बर 155312 अथवा 1800 233 4396 पर दीजिए

D:\All section\D.M.-Sect-06-1.doc-pk-askndvn-comp-Fax-07543-221120

4031